



दिल्ली विकास प्राधिकरण



(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी किए जाने की तिथि से **पैंतालीस (45) दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में **अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in** पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन:

क्रम सं.	विद्यमान प्रावधान-दि.मु.यो. 2021	प्रस्तावित संशोधन-दि.मु.यो. 2021
----------	----------------------------------	----------------------------------

अध्याय 4.0 आश्रय

1. 4.2.2.2 पारंपरिक आंतरिक शहर और अनियोजित क्षेत्र-बी. अनधिकृत/नियमित अनधिकृत कॉलोनियों

- (i) भौतिक: सेवाओं की व्यवस्था के लिए नवशे संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किए जाएंगे।
- (ii) सामाजिक: सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कम किए गए स्थल मानकों को अपनाया जाएगा। भूमि की उपलब्धता के आधार पर समाज सदन, डिस्पेंसरी आदि जैसी सुविधाओं को आपस में जोड़ा जा सकेगा। (क)....से (घ)....तक। "हटाए गए।"

क्रम सं.	विद्यमान प्रावधान-दि.मु.यो. 2021	प्रस्तावित संशोधन-दि.मु.यो. 2021
----------	----------------------------------	----------------------------------

2. 4.2.2.3 अनधिकृत कॉलोनियों के लिए विकास नियंत्रण मानदंड

ये विकास नियंत्रण मानदंड दिनांक 29.10.2019 को अधिसूचित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता) विनियम, 2019 के अंतर्गत आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों पर लागू होंगे। इन मानदंडों को निम्नलिखित बातों के आधार पर तैयार किया गया है: (i) अनधिकृत कॉलोनियों में बड़ी संख्या में निवासी किराये के मकान में रहते हैं, इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निरंतर बहन करने योग्य किराये के मकान की व्यवस्था करने के लिए मानदंड तैयार किए जाएंगे। (ii) अनधिकृत कॉलोनियों में पर्याप्त अवसंरचना और सेवाओं की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए निर्मित वातावरण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अलग मानदंड बनाए गए हैं। (iii) इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित तरीके से क्षेत्र का उन्नयन और मौजूदा भौतिक एवं सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है:- क. पैरा 4.2.2.3-क में दी गई परिभाषा के अनुसार प्लॉटों के समामेलन को बढ़ावा देकर और निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करके पुनरुद्धार योजना आरंभ करना। ख. पैरा 4.2.2.3-ख में दी गई परिभाषा के अनुसार कुछ न्यूनतम नियोजन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली मौजूदा कॉलोनियों का नियमितिकरण करके।

क. पुनरुद्धार योजना (रीजेनरेशन स्कीम)

- (i) अनधिकृत कॉलोनियों की पुनरुद्धार योजना कानूनी रूप से प्रवर्तनीय करार के माध्यम से विकासकर्ता संस्था (डीई) अथवा संघटक भू-स्वामियों/निवासियों अथवा आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा तैयार की जाएगी। (ii) विकासकर्ता संस्था/संघटक भू-स्वामियों/निवासियों/आर.डब्ल्यू.ए. को संबंधित प्राधिकरण के साथ परामर्श करके अनुमोदन हेतु ले-आउट और सर्विस प्लान तैयार करवाना होगा। (iii) अनुमोदन निम्नलिखित दो चरणों में दिया जाएगा: क. अनधिकृत कॉलोनी/आंशिक अनधिकृत कॉलोनी की पुनरुद्धार योजना के लिए विकासकर्ता संस्था अथवा संघटक भू-स्वामियों/निवासियों अथवा आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा योजना तैयार करने की अनुमति। ख. एकीकृत भवन-निर्माण उप विधि के प्रावधानों के अनुसार भवन निर्माण संस्वीकृति हेतु पृथक योजना/ले-आउटस। (iv) योजना की परिधि के 25% के साथ-साथ स्थल का पहुँच मार्ग न्यूनतम 12 मी. मार्गाधिकार से होना चाहिए। यदि पहुँच मार्ग की शर्त पूरी नहीं होती है, तो ले-आउट प्लान में कम से कम योजना की किसी एक तरफ 12 मी. मार्गाधिकार की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए भूमि विकासकर्ता संस्था द्वारा दी जाएगी। (v) अनधिकृत कॉलोनियों की पुनरुद्धार योजनाएं समेकित भूमि क्षेत्र के रूप में तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए प्लॉटों के समामेलन और पुनर्गठन की अनुमति निम्नलिखित स्तरों पर दी जाएगी: क. स्तर 1: 2,000-3,000 वर्ग मीटर ख. स्तर 2: 3,000-5,000 वर्ग मीटर ग. स्तर 3: 5,000-10,000 वर्ग मीटर घ. स्तर 4: 10,000 वर्ग मीटर से अधिक

(vi) निकटवर्ती क्षेत्रों में पुनरुद्धार को सुगम बनाने के लिए जहाँ तक हो सके, रेगुलर शोप और बाउंड्री बनाई रखी जाएगी। इस योजना में अतिरिक्त क्षेत्र पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (viii) के अनुसार शामिल किया जा सकता है।

क. सड़क के साथ-साथ न्यूनतम 50 वर्ग मीटर अथवा इसके अधिक आकार के पृथक प्लॉटों के लिए प्लॉटों के समामेलन की अनुमति होगी। ख. दो अथवा दो से अधिक सटी हुई अनधिकृत कॉलोनियों/आंशिक अनधिकृत कॉलोनियों को एक ही अनधिकृत कॉलोनी पुनरुद्धार योजना में शामिल रखा जा सकता है।

(viii) अनधिकृत कॉलोनी की बाउंड्री से बाहर के अतिरिक्त क्षेत्र को भी अनधिकृत कॉलोनी की पुनरुद्धार योजना में शामिल किया जा सकता है, यदि दोनों तरफ के भू-सम्पत्ति स्वामी एकीकृत तरीके से यह करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। यह अतिरिक्त क्षेत्र योजना क्षेत्र के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए और अनधिकृत कॉलोनी के बाहर पड़ने वाले इस अतिरिक्त क्षेत्र पर दि.मु.यो. के मानदंड लागू होंगे।

(ix) सड़कें, खुले स्थान, नाले आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को एकीकृत योजना के लिए स्तर 3 एवं 4 में शामिल किया जा सकता है। सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को अनुमेय एफ.ए.आर और तल कवरेज की गणना हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

क. एकीकृत ले-आउट में सड़कों और खुले स्थानों के अंतर्गत समान अथवा अधिक क्षेत्र की व्यवस्था होगी।

ख. विद्यमान नेटवर्क सड़कों, गलियों, पार्कों, नालों और सरकारी भूमि का समतुल्य क्षेत्र रखा जाएगा और वापिस किया जाएगा।

ग. सार्वजनिक क्षेत्रों को संबंधित सार्वजनिक एजेंसी को सौंपा जाएगा और यह आम जनता के लिए खुला रखा जाएगा।

घ. मौजूदा प्लॉटों को, जहाँ तक संभव होगा, बचाए रखा जाएगा।

(x) अनधिकृत कॉलोनी पुनरुद्धार योजना के लिए एफ.ए.आर. को निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा:

क. प्रत्येक संघटक प्लॉट के लिए अनुमेय एफ.ए.आर. नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा:-

प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अनुमेय एफ.ए.आर*
175 तक	350
175 से 250 तक	300
250 से 750 तक	250
750 से 1500 तक	225
1500 से अधिक	200

*यदि किसी प्लॉट परिकलित निर्मित क्षेत्रफल निम्न श्रेणी के प्लॉट के अनुमत क्षेत्रफल से कम है, तो निम्न श्रेणी के अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल को अनुमति दी जाएगी।

ख. अनुमेय योजना स्तर एफ.ए.आर. (पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (xii) के अनुसार जन सुविधाएं एफ.ए.आर. को छोड़कर) पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (x) (क) के अनुसार सभी संघटक भू-खंडों के एफएआर का योग होगा।

(xi) प्रयोच्य प्रभार: क. किसी पृथक प्लॉट हेतु 200 से अधिक एफ.ए.आर. के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट प्रभार लागू होंगे।

ख. अनुमेय एफएआर का न्यूनतम 5% और अधिकतम 15% स्थानीय स्तर की व्यावसायिक और पी.एस.पी. सुविधाओं के लिए होगा। पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (xii) में यथा उल्लिखित जन सुविधाएं एफएआर के अंतर्गत सामाजिक अवसंरचना के एफ.ए.आर. के लिए कोई प्रभार लागू नहीं होगा।

ग. मुख्य अवसंरचना प्रभार विकासकर्ता संस्था अथवा संघटक भू/संपत्ति स्वामी अथवा आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी को देय होगा।

(xii) अतिरिक्त पी.एस.पी. सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु अनुमेय से अधिक जन सुविधाएं एफ.ए.आर. को निम्नानुसार अनुमति दी जाएगी:-

अनधिकृत कॉलोनी पुनरुद्धार योजना का स्तर	उपलब्ध जन सुविधाएं एफएआर	जन सुविधाएं एफएआर के प्रयोग हेतु विनियमित शर्तें
स्तर 1	20	सेकेंडरी स्कूल और नगर स्तरीय सुविधाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्तर 2	30	सभी पी.एस.पी. उपयोग की अनुमति होगी बशर्ते कि खुले स्थान की शर्तों को पूरा किया गया हो। नगर स्तरीय सुविधाओं के लिए पृथक प्रवेश/निकास और सेवा केंद्र प्रदान किए जाएंगे।
स्तर 3	40	
स्तर 4	50	

(xiii) अनधिकृत कॉलोनी पुनरुद्धार योजनाओं के विभिन्न स्तरों के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे:

पैरामीटर	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
तल कवरेज	50% तक	50% तक	40% तक	40% तक
कोर शर्त के अनुसार न्यूनतम सैट बैक*	2.0 मी. -12 मी. मार्गाधिकार और अधिक	4.5 मी. -12 मी. मार्गाधिकार से कम	6.0 मी. - मौजूदा निर्मित क्षेत्र से सटा हुआ	
सार्वजनिक स्थल**	एकल प्लॉट के 10% के रूप में	एकल प्लॉट के 10% के रूप में	सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्लॉट के 10% के रूप में, जिसमें कम से कम 500 वर्ग मी. का एक प्लॉट शामिल हो।	सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्लॉट के 10% के रूप में, जिसमें कम से कम 1000 वर्ग मी. का एक प्लॉट शामिल हो।
पार्किंग	रिहायशी के लिए: 1.0 ई.सी.एस./100 वर्ग मी. पी. एस.पी. और व्यावसायिक के लिए: 1.0 ई.सी.एस./100 वर्ग मी.			
पी.एस.पी. सुविधाओं के लिए भूमि**	-	1 से 3 कि.मी. के दायरे में पहले से ही उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना के आधार पर 5% से 15% तक।		

*सैटबैक को हमेशा बाधा रहित रखा जाएगा और जब भी आवश्यकता हो, सड़क चौड़ा करने/सड़क निर्माण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

** न्यूनतम 9 मी. मार्गाधिकार वाला पहुँच मार्ग होगा और स्थानीय निकाय को अंतर्गत किया जाएगा। स्थानीय निकाय ऐसे सार्वजनिक स्थल का उपयोग पार्कों, प्लाजा या आवश्यकतानुसार जनोपयोगी सेवाओं की व्यवस्था के लिए कर सकता है।

***न्यूनतम 9 मी. मार्गाधिकार वाला पहुँच मार्ग के साथ एक समेकित भू-खंड के रूप में व्यवस्था की जाएगी और स्थानीय निकाय को अंतर्गत किया जाएगा। स्थानीय निकाय इस भूमि का उपयोग स्कूलों या बहु-सुविधा केंद्रों (जिसमें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, समाज सदन, बरती विकास केंद्र, पुलिस चौकी, शिश्-देखभाल केंद्र, प्रारंभिक शिक्षण केंद्र, लघु स्तर की गैर-प्रदूषणकारी आंशिक गतिविधियाँ, सामुदायिक हरित अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ढलाव या सामग्री रिकवरी केंद्र, अनौपचारिक मार्केट इत्यादि शामिल हैं) के प्रावधान हेतु कर सकता है।

(xiv) कम किए गए स्थल मानकों पर आधारित सामाजिक अवसंरचना हेतु मानदंड निम्न प्रकार से होंगे:-

सुविधा	पृथक प्लॉटों पर निर्मित सुविधाएं	वर्तिकल मिकिसंग के द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं
	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी.)
प्राथमिक विद्यालय	800	120
	एफ.ए.आर	तल कवरेज (%)
	120	30
	30	960
		खुले स्थान की शर्तों को पूरा किया जाएगा।

उच्च माध्यमिक विद्यालय	2000	150	35	3000	खुले स्थान की शर्तों को पूरा किया जाएगा।
किरीसी अन्य स्थानीय सुविधा	500-1000	120	30	1200	स्वास्थ्य सुविधाएँ, जिनमें अधिकतम 50 बिस्तरों की सुविधा हो, (@60 वर्ग मी./बिस्तर)

*बड़ी अनधिकृत कॉलोनी पुनरुद्धार योजनाओं में नगर स्तरीय सुविधाओं का विकास करते समय दिल्ली मुख्य योजना के मानदंडों का पालन किया जाएगा।

(xv) स्तर 4 की अनधिकृत कॉलोनी पुनरुद्धार योजना में योजना के अनुमोदन के बाद न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के प्लॉटों को कार्यान्वयन के लिए अनुमति दी जा सकती है।

ख. मौजूदा अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितिकरण

(i) जो अनधिकृत कॉलोनियाँ पैरा 4.2.2.3-ख में निर्दिष्ट न्यूनतम शर्तों को पूरा करती हैं उन अनधिकृत कॉलोनियों के पास अपने वर्तमान ले-आउट प्लान को नियमित करवाने का विकल्प होगा। इसके बाद पृथक भू/संपत्ति स्वामी भवन नवशे की स्वीकृति हेतु आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

(ii) निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने बाद मौजूदा/आंशिक अनधिकृत कॉलोनियों के ले-आउट प्लान पर विचार किया जाएगा: क. परिधि के 25% के साथ-साथ न्यूनतम 12 मी. का मार्गाधिकार।

ख. अग्निशमन गाइडों की पहुँच हेतु सभी प्लॉट मौजूदा/प्रस्तावित 9 मी. के मार्गाधिकार (6 मी. की पक्की सड़क सहित) की 30 मी. दूरी के अंदर होंगे।

ग. सभी प्लॉट खुले निकासी (ड्रैनेज/एगेशन) स्थान की 500 मीटर की दूरी के अंदर होंगे। प्लॉट/सामुदायिक भूमि को सामग्री रिकवरी सुविधाओं, खाद सुविधाओं, विद्युत सब स्टेशनों, सार्वजनिक/स्टैक पार्किंग आदि जैसी सुविधाओं हेतु चिह्नित किया जाएगा।

घ. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर और प्राथमिक शिक्षा केंद्र 1 किलोमीटर के अंदर स्थित होंगे।

(iii) अनधिकृत कॉलोनियों के पुनरुद्धार और नियमितिकरण हेतु अन्य सामान्य शर्तें निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के बाद लागू होंगी:-

क. विकासकर्ता संस्था/संघटक भू-स्वामी/निवासी/आर. डब्ल्यू. ए. मुख्य अवसंरचना और सेवाओं की व्यवस्था/सुधार के लिए, जिसमें मुख्य जन आपूर्ति लाइनों को बिछाना/बढ़ाना, मुख्य सीवरेज नेटवर्क को बिछाना/बढ़ाना या ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल को व्यवस्थित करना और गैस पाइपलाइनों को बिछाना (यदि व्यवहार्य हो) शामिल है, संबंधित एजेंसियों को आवेदन करेंगे।

ख. संबंधित एजेंसियाँ मुख्य अवसंरचना उपलब्ध कराएंगी/संवर्धित करेंगी और उसके लिए कोई भी आवश्यक प्रभार या शुल्क एकत्र करेंगी तथा विकासकर्ता संस्था संबंधित एजेंसी से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगी।

ग. आंतरिक विकास विकासकर्ता संस्था/संघटक भू-स्वामियों/निवासियों या आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा किया जाएगा।

घ. सभी आवश्यक अवसंरचनाओं का विकास और प्रचालन करने के बाद अनधिकृत कॉलोनी के ले आउट प्लान को समापन प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

(iv) ले-आउट समापन प्रमाण-पत्र दे दिए जाने पर प्लॉट स्तर के भवन नवशे की संस्वीकृति संबंधित स्थानीय निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

क. भवन नवशा संस्वीकृति मौजूदा भवनों के लिए या पृथक/समामेलित प्लॉटों या खाली प्लॉटों, यदि कोई हो, के लिए ली जा सकती है।

ख. भवन नवशा संस्वीकृति केवल उन्हीं भवनों के लिए दी जाएगी, जिनका निर्माण/डिजाइन दिल्ली मुख्य योजना के मानदंडों के अनुसार किया गया हो।

ग. संस्वीकृति केवल तभी दी जाएगी, यदि संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट किसी अनधिकृत संरचनात्मक इंजीनियरिंग फर्म के माध्यम से की गई हो और एजेंसी का विधिवत अनुमोदन प्राप्त किया गया हो। दि.वि.प्रा. इस प्रयोजन के लिए पैनलबद्ध संरचनात्मक इंजीनियरिंग फर्मों की सूची उपलब्ध कराया जाएगा।

घ. भवन नवशा संस्वीकृति प्रक्रिया के दौरान भवन स्वामी अनिवार्य रूप से अलग मीटर वाले जल आपूर्ति और बिजली कनेक्शन (यदि पहले से न लिया गया हो) के लिए आवेदन करेंगे। सेंट्रिक टैंक सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी या सीवरेज कनेक्शन प्राप्त किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन से किसी भी सीवेज मल का निपटान बरसाती जल निकासी में नहीं किया जाएगा।

(v) सभी अनुमोदित प्लॉटों का भूमि उपयोग 'आवासीय' होगा। तथापि, एसी अनधिकृत कॉलोनियों के अंदर स्थानीय स्तर की सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित की अनुमति दी जाएगी:-

क. पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (xiv) में दिए गए वर्टिकल मिकिसंग के मानदंडों के अनुसार सामाजिक अवसंरचना की व्यवस्था करने के लिए 100 वर्ग मी. या उससे अधिक बड़े आकार के तथा न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार सड़क से पहुँच वाले प्लॉटों को 100% आवासीय एफ.ए.आर. का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

ख. न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क (6 मीटर पक्की सड़क) से पहुँच वाले प्लॉटों पर अनुमेय एफ.ए.आर. के 5% तक व्यावसायिक घटक की अनुमति दी जाएगी।

ग. स्थानीय स्तर की व्यावसायिक और सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए पृथक/समामेलित प्लॉटों पर पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

घ. भवन नवशा संस्वीकृति प्रक्रिया के दौरान भवन स्वामी अनिवार्य रूप से अलग मीटर वाले जल आपूर्ति और बिजली कनेक्शन (यदि पहले से न लिया गया हो) के लिए आवेदन करेंगे। सेंट्रिक टैंक सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी या सीवरेज कनेक्शन प्राप्त किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन से किसी भी सीवेज मल का निपटान बरसाती जल निकासी में नहीं किया जाएगा।

(vi) सभी अनुमोदित प्लॉटों का भूमि उपयोग 'आवासीय' होगा। तथापि, एसी अनधिकृत कॉलोनियों के अंदर स्थानीय स्तर की सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित की अनुमति दी जाएगी:-

क. पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (xiv) में दिए गए वर्टिकल मिकिसंग के मानदंडों के अनुसार सामाजिक अवसंरचना की व्यवस्था करने के लिए 100 वर्ग मी. या उससे अधिक बड़े आकार के तथा न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार सड़क से पहुँच वाले प्लॉटों को 100% आवासीय एफ.ए.आर. का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

ख. न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क (6 मीटर पक्की सड़क) से पहुँच वाले प्लॉटों पर अनुमेय एफ.ए.आर. के 5% तक व्यावसायिक घटक की अनुमति दी जाएगी।

ग. स्थानीय स्तर की व्यावसायिक और सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए पृथक/समामेलित प्लॉटों पर पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

घ. भवन नवशा संस्वीकृति प्रक्रिया के दौरान भवन स्वामी अनिवार्य रूप से अलग मीटर वाले जल आपूर्ति और बिजली कनेक्शन (यदि पहले से न लिया गया हो) के लिए आवेदन करेंगे। सेंट्रिक टैंक सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी या सीवरेज कनेक्शन प्राप्त किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन से किसी भी सीवेज मल का निपटान बरसाती जल निकासी में नहीं किया जाएगा।

(vii) सभी अनुमोदित प्लॉटों का भूमि उपयोग 'आवासीय' होगा। तथापि, एसी अनधिकृत कॉलोनियों के अंदर स्थानीय स्तर की सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित की अनुमति दी जाएगी:-

क. पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (xiv) में दिए गए वर्टिकल मिकिसंग के मानदंडों के अनुसार सामाजिक अवसंरचना की व्यवस्था करने के लिए 100 वर्ग मी. या उससे अधिक बड़े आकार के तथा न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार सड़क से पहुँच वाले प्लॉटों को 100% आवासीय एफ.ए.आर. का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

ख. न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क (6 मीटर पक्की सड़क) से पहुँच वाले प्लॉटों पर अनुमेय एफ.ए.आर. के 5% तक व्यावसायिक घटक की अनुमति दी जाएगी।

ग. स्थानीय स्तर की व्यावसायिक और सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए पृथक/समामेलित प्लॉटों पर पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

घ. भवन नवशा संस्वीकृति प्रक्रिया के दौरान भवन स्वामी अनिवार्य रूप से अलग मीटर वाले जल आपूर्ति और बिजली कनेक्शन (यदि पहले से न लिया गया हो) के लिए आवेदन करेंगे। सेंट्रिक टैंक सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी या सीवरेज कनेक्शन प्राप्त किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन से किसी भी सीवेज मल का निपटान बरसाती जल निकासी में नहीं किया जाएगा।

(viii) सभी अनुमोदित प्लॉटों का भूमि उपयोग 'आवासीय' होगा। तथापि, एसी अनधिकृत कॉलोनियों के अंदर स्थानीय स्तर की सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित की अनुमति दी जाएगी:-

क. पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (xiv) में दिए गए वर्टिकल मिकिसंग के मानदंडों के अनुसार सामाजिक अवसंरचना की व्यवस्था करने के लिए 100 वर्ग मी. या उससे अधिक बड़े आकार के तथा न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार सड़क से पहुँच वाले प्लॉटों को 100% आवासीय एफ.ए.आर. का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

ख. न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क (6 मीटर पक्की सड़क) से पहुँच वाले प्लॉटों पर अनुमेय एफ.ए.आर. के 5% तक व्यावसायिक घटक की अनुमति दी जाएगी।

ग. स्थानीय स्तर की व्यावसायिक और सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए पृथक/समामेलित प्लॉटों पर पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

घ. भवन नवशा संस्वीकृति प्रक्रिया के दौरान भवन स्वामी अनिवार्य रूप से अलग मीटर वाले जल आपूर्ति और बिजली कनेक्शन (यदि पहले से न लिया गया हो) के लिए आवेदन करेंगे। सेंट्रिक टैंक सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी या सीवरेज कनेक्शन प्राप्त किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन से किसी भी सीवेज मल का निपटान बरसाती जल निकासी में नहीं किया जाएगा।

(ix) सभी अनुमोदित प्लॉटों का भूमि उपयोग 'आवासीय' होगा। तथापि, एसी अनधिकृत कॉलोनियों के अंदर स्थानीय स्तर की सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित की अनुमति दी जाएगी:-

क. पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (xiv) में दिए गए वर्टिकल मिकिसंग के मानदंडों के अनुसार सामाजिक अवसंरचना की व्यवस्था करने के लिए 100 वर्ग मी. या उससे अधिक बड़े आकार के तथा न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार सड़क से पहुँच वाले प्लॉटों को 100% आवासीय एफ.ए.आर. का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

ख. न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क (6 मीटर पक्की सड़क) से पहुँच वाले प्लॉटों पर अनुमेय एफ.ए.आर. के 5% तक व्यावसायिक घटक की अनुमति दी जाएगी।

ग. स्थानीय स्तर की व्यावसायिक और सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए पृथक/समामेलित प्लॉटों पर पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

घ. भवन नवशा संस्वीकृति प्रक्रिया के दौरान भवन स्वामी अनिवार्य रूप से अलग मीटर वाले जल आपूर्ति और बिजली कनेक्शन (यदि पहले से न लिया गया हो) के लिए आवेदन करेंगे। सेंट्रिक टैंक सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी या सीवरेज कनेक्शन प्राप्त किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन से किसी भी सीवेज मल का निपटान बरसाती जल निकासी में नहीं किया जाएगा।

(x) सभी अनुमोदित प्लॉटों का भूमि उपयोग 'आवासीय' होगा। तथापि, एसी अनधिकृत कॉलोनियों के अंदर स्थानीय स्तर की सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित की अनुमति दी जाएगी:-

क. पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (xiv) में दिए गए वर्टिकल मिकिसंग के मानदंडों के अनुसार सामाजिक अवसंरचना की व्यवस्था करने के लिए 100 वर्ग मी. या उससे अधिक बड़े आकार के तथा न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार सड़क से पहुँच वाले प्लॉटों को 100% आवासीय एफ.ए.आर. का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

ख. न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क (6 मीटर पक्की सड़क) से पहुँच वाले प्लॉटों पर अनुमेय एफ.ए.आर. के 5% तक व्यावसायिक घटक की अनुमति दी जाएगी।

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx> पर भी उपलब्ध है।

हस्ता / -
(डी.सरकार)

फाइल सं: एफ.22(02) / 2019-एमपी
दि